

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
निदेशक, उर्दू, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

पटना, दिनांक- 10-01-17

विषय:-

बजट शीर्ष- "2053- जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएँ-0011-द्वितीय राजभाषा (उर्दू)
स्थापना- मांग संख्या-04 तथा विपत्र कोड-"एन0 2053000940011" के अन्तर्गत वित्तीय
वर्ष 2016-17 की शेष अवधि में उपयोग हेतु राशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार द्वितीय राजभाषा (उर्दू) के अधीन उर्दू निदेशालय, राज्य के
समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालयों के उर्दू भाषा कोषांग में पदस्थापित एवं कार्यरत उर्दू
अनुवादकों, सहायक उर्दू अनुवादकों, उच्चवर्गीय लिपिकों/निम्नवर्गीय लिपिकों तथा कार्यालय परिचारियों के
वेतनादि के भुगतान एवं अन्य आनुषंगिक व्यय हेतु निदेशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की शेष अवधि में
उपयोग हेतु निम्न रूप में (जिलावार आवंटन सूची के अनुसार) राशि आवंटित की जाती है :-

कोड	विषय शीर्ष	आय-व्ययक अनुगान (2016-17)	प्रथम चौमाही के लिए कुल आवंटित राशि	द्वितीय आवंटन की राशि	तृतीय आवंटन की राशि
1	2	3	4	5	6
01 01	वेतन	24,35,27,000	7,63,36,000	15,31,72,000	1,40,19,000
01 03	जी0या0भत्ता	31,90,20,000	10,27,60,000	20,63,20,000	99,40,000
01 04	मकान भत्ता	3,81,44,000	97,55,200	1,90,73,200	93,15,600
01 05	परिवहन भत्ता	1,27,000	41,910	84,000	1,090
01 06	चिकित्सा भत्ता	18,66,000	5,90,600	11,81,200	94,200
01 07	अन्य भत्ता	16,000	5,280	10,720	0
कुल वेतन		60,27,00,000	18,94,88,990	37,98,41,120	3,33,69,890
06 01	चिकित्सा प्रतिपूति	7,00,000	2,05,000	1,50,000	3,45,000
11 01	यात्रा व्यय	4,00,000	1,32,000	2,34,000	34,000
13 01	कार्यालय व्यय	7,00,000	2,31,000	4,69,000	0
13 06	वर्दी/पोशाक	1,00,000	0	1,00,000	0
16 01	प्रकाशन एवं मुद्रण	6,00,000	1,98,000	4,02,000	0
20 02	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	29,00,000	9,57,000	19,43,000	0
20 03	प्रशिक्षण व्यय	4,00,000	1,32,000	68,000	2,00,000
28 01	व्यवसायिक एवं विशेषसेवाएँ	3,00,000	99,000	2,01,000	0
52 01	मशीने एवं उपस्कर	7,00,000	2,31,000	4,69,000	0
कुल योग		60,95,00,000	19,16,73,990	38,38,77,120	3,39,48,890

(कुल आवंटित राशि:-तीन करोड़ उन्नालीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ नब्बे रुपये मात्र)

2/ यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0, दिनांक-17.04.98, 423/वि0,
दिनांक- 31.03.2016 एवं 2793/वि0, दिनांक 04-04-2016 के आलोक में स्वीकृत है। वित्त विभाग के
पत्रांक 400/वि0, दिनांक 16.05.04 के आलोक में यदि वेतन मद की किसी उप इकाई में राशि का आवंटन
आवश्यकता से कम हुआ हो तो उक्त मद की राशि की पूर्ति वेतन/वेतन मद की किसी दूसरी उप इकाई में
आवंटित राशि से की जा सकती है। राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के अद्यतन आदेशों-निदेशों
का कड़ाई से पालन किया जाए।

3/ आवंटित राशि के विरुद्ध निकासी का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय, पटना से कराये जाने के संबंध में समय-समय पर प्राप्त वित्त विभाग के निदेशों एवं इस विभाग के पत्रांक-538/रा0, दिनांक-30.07.05 एवं 1007/रा0, दिनांक-06.12.06 के आलोक में यथा समय कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाए।

4/ राशि की निकासी एवं व्ययन में बिहार वित्त नियमावली, बिहार कोषागार संहिता, बजट मैनुअल एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0, दिनांक-17.04.98 तथा समय-समय पर निर्गत तत्संबंधी आदेशों-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5/ आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की सारी जबाबदेही संबद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6/ बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के आलोक में त्रैमासिक व्यय की सूचना, प्रत्येक तिमाही (जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च) के अन्त में विभागीय फ़ैक्स (0612-2217698)/स्पीड पोस्ट/विशेष दूत से अधोहस्ताक्षरी को विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए।

7/ कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार (20 02) विषय शीर्ष मद में आवंटित शत-प्रतिशत राशि का उपयोग जिला स्तर पर समारोह आयोजित करने में किया जाएगा।

8/ चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्त आवंटन, कुल व्यय की गई राशि, कुल अवशेष तथा कुल प्रत्यर्पित की जाने वाली राशि की सूचना विहित प्रपत्र में 31 मार्च, 2017 तक निश्चित रूप से इस विभाग को दे दी जाए ताकि समेकित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन वित्त विभाग को यथासमय उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई नहीं हो।

9/ उप आवंटन निर्गत करने तथा राशि की निकासी/व्ययन की कार्रवाई के क्रम में सेवानिवृत्त/बिमार/मृत्यु/निलंबित कर्मचारियों के बकाया वेतनादि/सेवान्त लाभ/जीवन निर्वाह भत्ता/कम्प्यूटर प्रशिक्षण की राशि के भुगतान तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

10/ आवंटनादेश के प्रस्ताव में प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञाप संख्या-उ0नि0- बजट-39/2016/...../रा0, पटना, दिनांक-10 जनवरी 2017
प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन,
9/1/17
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या- उ0नि0-बजट-39/2016/...../रा0, पटना, दिनांक-10 जनवरी 2017
प्रतिलिपि बजट शाखा/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में)/स्थापना शाखा, उर्दू निदेशालय एवं आई.टी. मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/17
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

9/1/17
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

क्र० सं०	विवरण / वर्क निदेशावली	वै. 01.01	वै. 01.03	वै. 01.04	वै. 01.05	वै. 01.06	वै. 01.07	वै. 01.08	वै. 06.01	वै. 11.01	वै. 13.01	वै. 13.06	वै. 16.01	वै. 20.02	वै. 20.03	वै. 28.01	वै. 52.01	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	200000	100000	200000	0	2000	0	502000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	502000
21	22	150000	100000	100000	0	1000	0	351000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	352000
22	23	350000	300000	200000	0	2000	0	852000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	853000
23	24	50000	50000	100000	0	2000	0	202000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	203000
24	25	300000	200000	200000	0	2000	0	702000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	703000
25	26	250000	100000	100000	0	2000	0	452000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	453000
26	27	350000	200000	100000	0	2000	0	652000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	652000
27	28	200000	100000	150000	0	2000	0	452000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	453000
28	29	1150000	1150000	1100000	0	5000	0	3405000	0	1000	0	0	0	0	50000	0	0	3456000
29	30	200000	120000	100000	0	2000	0	422000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	423000
30	31	200000	100000	200000	0	2000	0	502000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	503000
31	32	200000	120000	100000	0	2000	0	422000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	423000
32	33	100000	100000	100000	0	1000	0	301000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	302000
33	34	1000000	1000000	700000	0	5000	0	2705000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	2706000
34	35	200000	100000	100000	0	2000	0	402000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	403000
35	36	300000	200000	200000	0	1000	0	701000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	702000
36	37	400000	200000	300000	0	1000	0	901000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	902000
37	38	250000	100000	200000	0	1000	0	551000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	552000
38	39	319000	100000	315600	0	2000	0	736600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736600
कुल योग		14019000	9940000	9315600	1090	94200	0	33369890	345000	34000	0	0	0	0	200000	0	0	33948890

(कुल योग - तीन करोड़ चत्तरवालीस लाख अठ्ठावीस हजार आठ सौ नब्बे रुपये मात्र)

95162
9/11/17

(सर्वोच्च न्यायालय)
प्रमाण सही है।